संलग्न - II

स्व प्रेरणा से प्रकटीकरण

28th May, 2015 को अद्यतन किया गया

मद संख्या 8(A) (2)

फा .सं. - 2-51/2012 (खंड-II) - यूनेस्को सेल

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

विषय : भारत की जीवंत एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा संबंधी समन्वय समिति के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति का गठन।

भारत की जीवंत एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा संबंधी समन्वय समिति की दिनांक 18.02.2013 को संपन्न दूसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, एतदद्वारा भारत की जीवंत एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा संबंधी समन्वय समिति के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाता है जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों और प्रशासनिक तंत्रों के बीच तालमेल स्थापित करने की दृष्टि से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण, संरक्षण और संवर्धन के लिए एक संपूर्ण कार्य योजना और दिशा-निर्देश आदि का सुझाव देना तथा एक धारणीय मानव व्यवस्था एवं विकास के लिए एक समग्रतावादी तथा समेकित सामाजिक-सांस्कृतिक-पारिस्थितिक पद्धति दृष्टिकोण की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना है।

अध्यक्ष

1. सचिव (संस्कृति)

सदस्य

2. प्रतिनिधि, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
3. प्रतिनिधि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. प्रतिनिधि, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. प्रतिनिधि, आयुष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष भवन, जीपीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली
6. प्रतिनिधि, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली

7. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (आईजीआरएमएस), भोपाल
8. डॉ .सुधा गोपालकृष्णन, सहपीडिया, पीटीआई बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली
9. डॉ .ऋतु सेठी, क्राफ्ट रिवाइवल, एंसाइक्लोपीडिया
10. डॉ .शुभा चौधरी, एसोसिएट डॉयरेक्टर जनरल अकेडमीज़, नृजातीय संग्रहालय विज्ञान अभिलेखागार एवं अनुसंधान केंद्र, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ (एआईआईएस)
11. डॉ .मौली कौशल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)
12. प्रो .एन एस गोपालकृष्णन, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
13. प्रो .शाहिद अमीन, प्रोफेसर, समाज विज्ञान संकाय, नॉर्थ कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
14. श्री सदानंद मेनन, सांस्कृतिक लेखक एवं आलोचक (फिल्म नृत्य आदि)
15. प्रो .एलीटो सीकूवेरिया, समाजशास्त्र विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, टैलीगाव प्लेटू, गोवा
16. श्री महमूद फारुखी, लेखक दास्तांगोई
17. सुश्री संथिला टी यंगेर, भारतीय कला एवं सांस्कृतिक न्यास (इंटेक)
18. प्रो .तापती गुहा, ठाकुरता (लोक उत्सव), निदेशक समाज विज्ञान अध्ययन केंद्र
19. प्रो .लोकेश अरमबम (थिएटर), सगोलबंद, मेइनोलेन, इम्फाल
20. प्रो .पुष्पेश पंत -अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन, एवं निशस्त्रीकरण केंद्र (सीआईपीओडी) अंतरराष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जेएनयू नई दिल्ली
21. श्री प्रसन्ना, थिएटर निदेशक, पारिस्थितिकीय रूप से धारणीय उद्योंगों का विकास (डीईएसआई)

सदस्य – समन्वय

22. सचिव/कार्यवाहक सचिव, संगीत नाटक अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई

समिति के विचारार्थ विषय

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :
   (i) विभिन्न विषयों और प्रशासनिक तंत्रों के बीच तालमेल स्थापित करने तथा मानव विकास के एक समग्रतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करने और इसके विभिन्न आयामों को समेकित करने की दृष्टि से दिनांक 21.10.2010 को स्थापित भारत की जीवंत एवं विविध सांस्कृतिक परंपरा संबंधी समन्वय समिति (सीसी) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण, संरक्षण और संवर्धन के लिए एक संपूर्ण कार्य योजना और दिशा-निर्देश आदि का सुझाव देना।
   (ii) समन्वय समिति के अंतर्गत दिनांक 14.06.2013 को गठित समूहों की रिपोर्ट में सुझाए गए ढांचागत कार्यतंत्र की जांच करना और समुचित ढांचागत कार्यतंत्र का सुझाव देना।

(iii) समन्वय समिति के समक्ष आए विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अंतर-मत्रालय कार्यतंत्र में सहक्रियात्मकता लाने के लिए कार्य पद्धतियों का सुझाव देना।

(iv) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध श्रेणियों की पहचान करने के उपायों का सुझाव देना तथा भारत के विस्तृत पारिस्थितिक-सांस्कृतिक मानचित्रण समेत इनके संरक्षण और परिरक्षण आदि के लिए कार्य पद्धतियों का सुझाव देना।

(v) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति विविधता की सुरक्षा संबंधी कन्वेशल के अनुसार यूनेस्को के अंतगर्त औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के प्रस्तावों तथा आईसीएच आदि संबंधी यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के लिए ऐसे आईसीएच की सूची तैयार करने समेत यूनेस्को कन्वेशल में सूचीबद्ध होने के मामलों की समीक्षा करना।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कलाकारों को उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अभिव्यक्ति आदि के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के उपायों का सुझाव देना।

(vii) विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से जुड़ी सांस्कृतियों अभिव्यक्तियों, विशिष्ट प्रक्रियाओं, व्यवहारों, रीति-रिवाजों, प्रयासों आदि से संबंधित लोगों, स्रोतों/प्रवर्तकों के विषय में संरक्षित तथा संकटापन्न सांस्कृतिक रूपों की पहचान करने में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों आदि की भागीदारी के लिए कार्यपद्धतियों का सुझाव देना तथा ऐसे लोगों, समुदाय विशिष्ट प्रक्रियाओं, व्यवहारों आदि को अधिक से अधिक मान्यता प्रदान करने के संबंध में ऐसे स्रोतों/प्रवर्तकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(viii) 'पैरम्बारा कैटलॉग' के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करना और आगे के दृष्टिकोण का सुझाव देना।

(ix) कलाकारों, शिल्पकारों आदि की ऑडियो रिकॉर्डिंग के पुनर्व्यवस्था (रिपॉजिशनिंग) के मामले की समीक्षा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।

(x) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संबंध में आईपीआर से जुड़े मामलों पर सरकार को दृष्टिकोण संबंधी सुझाव देना।

3. यह विशेषज्ञ समिति समूहों का गठन कर सकती है जिसमें मुख्य रूप से दो तरह के समूह होंगे -एक समूह भारत से जुड़े मामलों पर तथा दूसरा समूह यूनेस्को/आईपीआर संबंधी मामलों पर बल देगा। यह समिति स्वयं के लिए संपूर्ण कार्य योजना का खाका तैयार करने का निर्णय ले सकती है और यह ऐसे मामलों/कठिनाईयों के समाधान के लिए संस्कृति मंत्रालय/समन्वय समिति से संपर्क कर सकती है जिनका सामना विभिन्न भागीदारों/सरकारी एजेंसियों आदि के साथ हो सकता है।

बैठकें

(iii) समन्वय समिति के समक्ष आए विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अंतर-मत्रालय कार्यतंत्र में सहक्रियात्मकता लाने के लिए कार्य पद्धतियों का सुझाव देना।

(iv) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध श्रेणियों की पहचान करने के उपायों का सुझाव देना तथा भारत के विस्तृत पारिस्थितिक-सांस्कृतिक मानचित्रण समेत इनके संरक्षण और परिरक्षण आदि के लिए कार्य पद्धतियों का सुझाव देना।

(v) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति विविधता की सुरक्षा संबंधी कन्वेशल के अनुसार यूनेस्को के अंतगर्त औपचारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के प्रस्तावों तथा आईसीएच आदि संबंधी यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के लिए ऐसे आईसीएच की सूची तैयार करने समेत यूनेस्को कन्वेशल में सूचीबद्ध होने के मामलों की समीक्षा करना।

(vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कलाकारों को उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अभिव्यक्ति आदि के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के उपायों का सुझाव देना।

(vii) विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों से जुड़ी सांस्कृतियों अभिव्यक्तियों, विशिष्ट प्रक्रियाओं, व्यवहारों, रीति-रिवाजों, प्रयासों आदि से संबंधित लोगों, स्रोतों/प्रवर्तकों के विषय में संरक्षित तथा संकटापन्न सांस्कृतिक रूपों की पहचान करने में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों आदि की भागीदारी के लिए कार्यपद्धतियों का सुझाव देना तथा ऐसे लोगों, समुदाय विशिष्ट प्रक्रियाओं, व्यवहारों आदि को अधिक से अधिक मान्यता प्रदान करने के संबंध में ऐसे स्रोतों/प्रवर्तकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(viii) 'पैरम्बारा कैटलॉग' के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करना और आगे के दृष्टिकोण का सुझाव देना।

(ix) कलाकारों, शिल्पकारों आदि की ऑडियो रिकॉर्डिंग के पुनर्व्यवस्था (रिपॉजिशनिंग) के मामले की समीक्षा करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।

(x) भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संबंध में आईपीआर से जुड़े मामलों पर सरकार को दृष्टिकोण संबंधी सुझाव देना।

3. यह विशेषज्ञ समिति समूहों का गठन कर सकती है जिसमें मुख्य रूप से दो तरह के समूह होंगे -एक समूह भारत से जुड़े मामलों पर तथा दूसरा समूह यूनेस्को/आईपीआर संबंधी मामलों पर बल देगा। यह समिति स्वयं के लिए संपूर्ण कार्य योजना का खाका तैयार करने का निर्णय ले सकती है और यह ऐसे मामलों/कठिनाईयों के समाधान के लिए संस्कृति मंत्रालय/समन्वय समिति से संपर्क कर सकती है जिनका सामना विभिन्न भागीदारों/सरकारी एजेंसियों आदि के साथ हो सकता है।

बैठकें

4. विशेषज्ञ समिति जैसा इसे उचित लगे नियमित अंतराल पर बैठकें कर सकती है लेकिन प्रत्येक तीन महीने पर बैठक करने को वरीयता दी जाएगी।

अवधि

5. विशेषज्ञ समिति की अवधि इस आदेश के जारी होने तारीख से तीन वर्षों तक होगी।

व्यय

6. उपरोक्त विशेषज्ञ समिति/समन्वय समिति की बैठक तथा इसके भागीदार/गैर सरकारी सदस्य तथा समन्वय समिति से जुड़े कार्य अथवा आईसीएच मामलों से संबंधित इसकी किसी समिति के लिए शामिल किए गए परामर्शक के लिए टीए/डीए आदि समेत सभी व्यय दिनांक 05.11.2013 के आदेश संख्या 2-4/2013- यूनेस्को के माध्यम से जारी "भारत की आमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपरा की सुरक्षा संबंधी स्कीम'' नामक स्कीम से इसमें यथावर्णित प्रावधानों के अनुसार वहन किए जाएंगे।

7. विशेषज्ञ समिति के लिए सचिवालय सहायता संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाएगी।